न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)
(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 158/2022
जीसीएमएस न0 2022/396

1. श्रीमति शारदा बाई पत्नी लीलाशंकर धाकड निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

...वादीया

बनाम

1. जुगलकिशोर पिता डालचंद जी जाति धाकड निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. गोपाल पिता धनराज जी जाति ब्राहम्ण निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. नार्थी बाई पुत्री मोहनलाल जी जाति ब्राहम्ण निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा
5. शिवलाल पिता सोहनलाल जी जाति ब्राहम्ण निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा
6. सीता पत्नी डालचन्द जी जाति ब्राहम्ण निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा
7. आशीष कुमार पुत्र दौलतराम जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
8. कन्हैयालाल पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
9. गोपाल लाल पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
10. ज्योति पुत्री दौलतराम जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
11. दुर्गा शंकर पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
12. दुर्गा देवी पत्नि दोलतराम जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
13. नितेश कुमार पुत्र दौलतराम जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
14. विहारी लाल पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
15. लक्ष्मीनारायण पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
16. लीला बाई पुत्री धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
17. सत्यनारायण पुत्र धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०
18. संतोष बाई पुत्री धनराज जी निवासी बडावली तह० निम्बाहेडा राज०

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री घनश्याम शर्मा – स्वयं उपस्थित

::निर्णय::

दिनांक 10.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा बडावली आराजी नम्बर 517/1508 रकबा 0.7300 हैक्टयर लगानी 1 रू0 46 पैसा है, जिसके पडौस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में घनश्याम रतनलाल धाकड, उत्तर में जुगलकिशोर का खेत, दक्षिण में गोपाल का खौल है, अन चारों पडौस के बीच की भूमि पर वादीया का कब्जा चला आ रहा है।

2. वादीया का अपनी आराजियात पर जाने का रास्ता पूर्वी सीमा से दक्षिणी पश्चिमी कौने से एक रिकोर्डेड रास्ता आराजी न0 515 और आराजी नम्बर 490 के मध्य से गुजरता

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

हुआ उत्तर की और बढता है, यह रास्ता वादीया के उत्तरी पूर्वी सीमा से होता हुआ आगे जाता है। वादीया इसी रास्ते से अपनी आराजियात पर काश्त करती चली आ रही है। इसके अलावा और कोई रास्ता वादीया का नही है। इसी प्रकार आराजी न0 519 रकबा 0.6600 हेक्टयर लगानी 04.29 पैसा व आराजी न0 520 रकबा 0.1700 हेक्टयर है लगानी 0.34 पैसे पूर्वी दिशा कि और स्थिन आराजी न0 514 व 638 में से होकर आता है तथा प्रार्थिया के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई अवगमन का रास्ता आराजी न0 519 व 520 बाबत उपलब्ध नही होने सेवादीया अपनी आराजी में इसी रास्ते से आमद रफत कर रही है। प्रतिवादीगणों ने वादीया के उक्त रिकोर्डेड रास्ते के उत्तरी पूर्वी कौने पर जबरन अवरोध उत्पन्न कर रहे है, और वादीया को अपनी आराजियात में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जबकी वादीया का इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

3. उक्त रिकार्डेड रास्ते से रास्ता जो आ रहा है उस रास्ते में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट नही डाले ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारी है। विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादीया को उत्तरी पूर्वी सीमा पर रास्ता दिलाया जावें और अगर किमतन राशि भी जमा करानी पडे तो वादीया इसके लिये तैयार है। ओर वादीया को रास्ता दिलाया जाकर रिकार्ड में भी इसका इसी प्रकार से अंकन किया जावें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 5,6,15 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5,6,15 बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 4,7,8,9,10,11,12,13, 14,16,17,18 की तलबी अखबार के माध्यम से कराई गई। प्रतिवादी संख्या 4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की और से अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया तथा निवेदन किया कि वादीया अपनी आराजीयात पर काबिज होकर उसी रास्ते से आ जा रही है जिसका उल्लेख वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 2 में उल्लेखित किया है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी अपनी ओर से रास्ता अवरोधित नहीं किया है न ही कर रहे हैं। वादीया कदीम से निरन्तर अपनी आराजीयात पर काश्त कर रही है उसे अपनी आराजी पर काश्त करने में व आने जान में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। वादीया स्वयं अतिकमी है व प्रतिवादीगण की आराजी में अनाधिकृत प्रवेश कर नया रास्ता कायम करना चाहती है जब कि उसे ऐसा दुष्कृत्य कारित करने का अधिकार नही है। अतः वाद पत्र की चरण सं. 5 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। वादीया ने प्रतिवादीगण को आर्थिक व मानसिक क्षति कारित करने की दुर्भावना पूर्ण आशय से प्रताड़ित करते हुए विधि के प्रावधानों के विपरीत यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादीया का प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद हेतु ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः वाद पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

5. तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुषंशा मय रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमती शारदाबाई पत्नि लीलाशंकर धाकड़ सा. बड़ावली के नाम दर्ज आराजी नम्बर 517/1508 रकबा 0.73 है0, 519 रकबा 0.66 है०, आराजी नम्बर 520 रकबा 0.17 है० का मौका देखा गया। प्रार्थिया की उक्त आराजी पर आने–जाने हेतु रेकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थिया की आराजी नम्बर 519 एवं 520 पर आने–जाने हेतु मौजा बडावली की आराजी नम्बर – 514 की दक्षिणी एवं पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे सुविधायुक्त है क्योंकि वर्तमान में आराजी नम्बर 514 की दक्षिण की मेड़ पर रास्ता चालु हालात में है जो मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 638 बिलानाम सरकार से होकर आराजी नम्बर 513 तक चालु है। आराजी नम्बर 513 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थिया की आराजी नम्बर517/1508 रकबा 0.73 है० के लिए मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 515 जो कि रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 513 से जुडी हुई है जो

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है। प्रार्थिया एवं उपस्थित मौतबिरानों द्वारा भी इसी अनुसार रास्ता दिलाने हेतु सहमति जताई है। वक्त पर्चा मौका भी उपस्थित ने बताया कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थिया के जोत तक आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं यही रास्ता सुविधाजनक रहेगा। प्रार्थिया के खेत तक आने–जाने के लिए उक्त रास्ता निकटतम हैं इसकी प्रार्थिया को आवश्यकता है। इसके अलावा रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया शारदाबाई पत्नि लीलाशंकर की आराजियात पर जाने हेतु रास्ते का क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र0स0	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल
1	बडावली	638	0.88	बिलानाम सरकार	40 मीटर X 4 मीटर = 160 वर्गमीटर
2	बडावली	514	0.71	नाथी पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण 1/6 सा.देह. सीता पत्नि डालचन्द 1/2 धाकड सा0देह	132 मीटर X 4 मीटर = 528 वर्गमीटर
3	बडावली	515	0.31	आशीष कुमार वगै0 जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 154/2077–80	15 मीटर X 4 मीटर=60 वर्गमीटर

इस प्रकार प्रार्थिया श्रीमती शारदाबाई पत्नी लीलाशंकर धाकड़ सा. बड़ावली की आराजियात पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 638, 514 एवं 515 में से होकर किया गया है। आराजी नम्बर 514 की दक्षिणी मेड़ पर एवं 638 में से होकर वर्तमान रास्ता चालु हालात में है आ.नं. 514 की पश्चिमी मेड़ पर बन्द है।

तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा ने उक्त प्रकरण में ग्राम बड़ावली की आराजी नं० 519 रकबा 6600 वर्गमीटर, 520 रकबा 1700 वर्गमीटर भूमि के लिए आवागमन हेतु ग्राम बडावली की आराजी न. 638 में से 160 वर्गमीटर एवं 514 मेंसे 528 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ता एवं इसी प्रकार ग्राम बड़ावली आसीज नं. 517/1508 रकबा 7300 वर्गमीटर भूमि के लिए आवागमन हेतु ग्राम बड़ावली की आसीज 515 में से 60 विवादित भूमि ग्राम बडावली तहसील निम्बाहेडा में स्थित है और पक्षकारान भी यही के स्थाई निवासी है इसलिये माननीय न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

क्र0 स0	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रयुक्त रकबा	डी.एल. सी(वर्गमीटर में) का दुगना	कुल राशि ₹ में
1	बडावली	638	8800 वर्ग मीटर	160 वर्गमीटर	40 मीटर X 4 मीटर = 160 वर्गमीटर	₹35090/-
2	बडावली	514	0.71	528 वर्गमीटर	132 मीटर X 4 मीटर = 528 वर्गमीटर	₹115790/-
3	बडावली	515	0.31	60 वर्गमीटर	15 मीटर X 4 मीटर=60 वर्गमीटर	₹13160/-

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

उपरोक्तानुसार तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की अनुशंषा की गई

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि

धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

9. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थिया की आराजी नम्बर 517/1508 रकबा 0.73 है० के लिए मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 514 की दक्षिण की मेड़ पर रास्ता चालु हालात में है जो मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 638 बिलानाम सरकार से होकर आराजी नम्बर 513 तक चालु है। आराजी नम्बर 513 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थिया की आराजी नम्बर 517/1508 रकबा 0.73 है० के लिए मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 515 जो कि रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 513 से जुड़ी हुई है जो सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है। प्रार्थिया श्रीमती शारदाबाई पत्नी लीलाशंकर धाकड़ सा. बड़ावली की आराजियात पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 638, 514 एवं 515 में से होकर किया गया है।

आदेश

परिणामस्वरूप वादीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा क्रमांक/राजस्व/2023/294 दिनांक 17.02.2023 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा वादीया हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वह ग्राम वादीया को अपनी आराजियात वाके मौजा बड़ावली की आराजी नम्बर 517/1508 रकबा 0.73 हैक्टैयर भूमि में पहुंचने हेतु ग्राम बड़ावली की आराजी नम्बर 638 रकबा 8800 वर्गमीटर में से 160 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 514 रकबा 7100 वर्गमीटर में से 528 वर्गमीटर, एवं आराजी नम्बर 515 रकबा 3100 वर्गमीटर भूमि में से 60 वर्गमीटर भूमि का रास्ता जो की प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ते में आयी भूमि के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार तथा प्रार्थीगण से डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर प्रतिवादीगण को उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी जावें अथवा प्रार्थीगण द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 17.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा